75

संख्याः 74 /XXIV-2/2005

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तरांचल, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग देहरादून दिनांक 25 फरवरी,2005

विषयः जनता इण्टर कालेज– कठूड़, हिन्दाव, टिहरी गढ़वाल का प्रान्तीयकरण के फलस्वरूप पदों का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः नियोजन/27860/ज0इ0का0 कठूड/2004–05 दिनांक 11–10–2004 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्याः शि0 मं0–18/ माध्यमिक/ 03 दिनांक 8–10–2003 के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय, जनता इण्टर कालेज– कठूड़, हिन्दाव, टिहरी गढ़वाल हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार शासनादेश के दिनांक अथवा नियुक्ति की तिथि, जो भी बाद में हो, से 28 फरवरी,2005 तक वशर्ते कि यह पद इसके पूर्व ही बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिये जाय, अस्थायी पदो को सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। यह पद शिक्षा विभाग के संबंधित सवर्ग में अस्थायी वृद्धि के रूप में माने जायेंगे। इन पदो के पदधारकों को समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते देय होंगे।

क0सं0	पदनाम	वेतनमान	सृजित पदों की संख्या
1	2	3	4
1–	प्रधानाचार्य	10000–325–15200	01(एक)
2–	प्रवक्ता	6500–200–10500	04(चार)
3–	सहायक अध्यापक एल0टी0	5500–9000	07(सात)
4–	वरिष्ठ लिपिक	4000–100–6000	01(एक)
5–	कनिष्ठ लिपिक–	3050–4590	01(एक)

6—	दफ्तरी	2610—3540	01(एक)
7—	चतुर्थ श्रेणी	2550—55—3200	05(पांच)
		योग—	20(बीस)

2— चतुर्थ श्रेणी के 05 पद इस प्रतिबन्ध के साथ सृजित किये जाते हैं कि मानक से अधिक 03 (तीन)कनिष्ठतम चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को वार्षिक प्रबन्ध में अन्यत्र विद्यालयों में जहाँ पद रिक्त हों, स्थानान्तरित किया जायेगा और स्थानान्तरित कार्मिकों से रिक्त होने वाले यह 03 (तीन) पद स्वतः समाप्त हो जायेंगे और विद्यालय में तब 02 (दो) ही पद सृजित माने जायेंगे।

3— राज्यपाल महोदय प्रान्तीयकृत इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य को अपने विद्यालय से संबंधित व्ययों के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी भी घोषित करते हैं।

4— प्रान्तीयकरण की तिथि से इस विद्यालय का सम्पूर्ण व्यय राजस्व आय—व्ययक से सीधे सरकारी खर्च के रूप में वहन किया जायेगा तथा अन्य राजकीय विद्यालयों की भाँति इस विद्यालय को भी जिला शिक्षा अधिकारी के प्रशासनिक अधिकार में दिया जायेगा जो शिक्षा निदेशक उत्तरांचल द्वारा प्रसारित सामान्य नियमों के अनुसार इसका संचालन करेंगे। प्रश्नगत विद्यालय की भूमि / भवन आदि सभी चल तथा अचल सम्पति का शासन को स्थानान्तरण कर दिया जायेगा। विद्यालय की आय में (प्रान्तीयकरण की तिथि से तथा विद्यालय की अवशेष क्लेम की बकाया रकम, कोष बन्दे से प्राप्त रकम, दान से प्राप्त धनराशि तथा छात्रों से ली गई फीस की धनराशि सम्मिलित है) राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत प्राप्त आय सम्बन्धित शीर्षक में जमा कर दी जायेगी। प्रान्तीयकरण पर यह विद्यालय बिना दायित्व तथा अन्य भार के शासन को सौंप दिये जायेंगे। प्रान्तीयकरण से पहले की देनदारी यदि बाद में निकल आयी, तो उसका दायित्व शासन पर नहीं होगा।

5— उपर्युक्त विद्यालय में वास्तविक रूप से कार्य कर रहे वर्तमान स्टाफ को, जो प्रान्तीयकरण की तिथि को निर्धारित योग्यता रखते हों, इस शासनादेश में स्वीकृत पदों के विपरीत अस्थायी रूप से नियुक्त किया जायेगा तथा इन पदधारकों की ज्येष्ठता का निर्धारण का पूर्ण अधिकार शासन तथा शिक्षा विभाग को होगा। इन पदधारकों को राजकीय सेवा में स्थायी रूप से विलीनीकरण करना तभी सम्भव होगा, जब ये सक्षम अधिकारी अथवा लोक सेवा आयोग द्वारा अन्ततः योग्य

घोषित कर दिये जायेंगे। ऐसे प्रश्नगत स्टाफ का वेतन सामान्य नियमों के अन्तर्गत निर्धारित होगा।

6– ऐसे पदधारक जो निर्धारित योग्यता न रखते हों अथवा जिन्हें शासन के सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त न हो, का सरकारी सेवा में स्थायी रूप से विलीनीकरण सम्भव न होगा जिन्हें कि उपरोक्त स्वीकृत पदों के सापेक्ष अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाये। तद्नुसार प्रश्नगत स्टाफ को चेतावनी दे दी जाय कि नियुक्ति अधिकारी अथवा विपरीत क्रम से उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी को लिखित रूप से दिये गये नोटिस के अनुसार उनकी सेवा किसी समय भी एक महीने की पूर्व नोटिस पर समाप्त कर दी जायेगी। ये कर्मचारी अपनी नई सेवा शर्तों को जो एक अस्थायी राज्य कर्मचारी के अनुरूप होगी, स्पष्ट रूप से स्वीकार करेंगे।

7– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखा "

शीर्षक 2202– सामान्य शिक्षा –02 – माध्यमिक शिक्षा –आयोजनेत्तर –109–राजकीय माध्यमिक विद्यालय–08– अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों का प्रान्तीयकरण " के नामे डाला जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या –403 / वित्त अनु0– 4 / 2005 दिनॉक 16–2–2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव

संख्याः (1) / XXIV-2/2005 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तरॉचल, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।
3– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी।
4– अपर शिक्षा निदेशक गढ़वाल मण्डल–पौड़ी।

5– जिला शिक्षा अधिकारी–टिहरी।
6– जिलाधिकारी– टिहरी।
7– कोषाधिकारी– टिहरी।
8– अपर सचिव, शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
9– संबंधित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
10– एन0आई0सी0, उत्तरॉचल, देहरादून।
11– वित्त विभाग/ नियोजन प्रकोष्ठ।
12– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव